नगर निगम की राष्ट्रीय स्तर पर हो रही तारीफ, ऐसा कर के आप भी पा सकते हैं सराहना

रतलाम। स्वच्छता अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए रतलाम नगर निगम की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। निगम द्वारा कचरे और कबाड़ से कलात्मक व सजावटी वस्तुएं बनाने को स्वच्छ भारत अर्बन ट्विटर हैंडल पर साझा किया गया है। इस काम को स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर बनाने के साथ ही तीन-आर (रिड्यूज, रियूज और रिसाइकिल) की अवधारणा को पुष्ट करने वाला बताते हुए सराहना की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत रतलाम को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। इसी तारतम्य में नगर निगम द्वारा भी कई प्रयोग किए जा रहे हैं। जिसमें अनुपयोगी वस्तुओं का सदुपयोग किया ज रहा है। इसमें कचरे से जैविक खाद बनाने के साथ ही कबाड़ से जुगाड़ भी शामिल है। रतलाम नगर निगम के ऐसे ही एक प्रयास को भारत सरकार के स्वच्छ भारत अर्बन ट्विटर हैंडल पर स्थान दिया गया है। यह काम है पुराने और बेकार टायरों व अन्य सामग्री से बगीचों के लिए सजावटी सामग्री के निर्माण का। केंद्र सरकार स्तर पर मॉनीटरिंग करने वाली टीम ने इसके फोटोग्राफ को साझा करने के साथ ही नगर निगम की सराहना भी की है।

स्वच्छ भारत अर्बन ट्विटर अकाउंट पर साझा किए फोटो के साथ सराहना भी की गई है। इसमें बताया गया है कि अपशिष्ट पदार्थों से आकर्षक संरचनाओं को डिजाइन करके वेस्ट टू वेल्थ पर फोकस किया गया है। विभिन्न स्थानों पर कचरे से - कला संरचनाएं बनाकर, शहर ने अपनी जनभागीदारी का प्रदर्शन किया। यह तीन-आर = रिड्यूज, रियूज और रिसाइकिल के संदेश की प्रतिध्वनि भी उत्पन्न करता है। यानी निगम द्वारा बनाई गई सरचना से लोगों में बेकार की चीजों को कम करने, उनकी रिसाइक्लिंग कर पुन= उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इससे पर्यावरण का भी संरक्षण होगा।

रतलाम कलेक्टर के ट्विटर हैंडल पर भी हुआ रिट्वीट- नगर निगम के वेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर की गई सराहाने के ट्वीट को रतलाम कलेक्टर के ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया गया है। इसमें भी बताया गया है कि बेकार सामग्रियों तथा कबाड़ से कलात्मक निर्माण करके उनको शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है। बता दें, कि स्वच्छता मिशन की मॉनिटरिंग कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम खुद भी कर रहे हैं ताकि रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में अच्छी रैंक मिल सके।

सभी बड़े बगीचों में लगेंगी ऐसी संरचनाएं- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कबाड़ से कलात्मक संरचनाएं बनाने का कार्य भी इसी दिशा में एक कोशिश है। अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर कृतियां बनाकर शहर के बड़े बगीचों में लगाने का कार्य जारी है। यह काम नगर निगम की टीम और स्किल्ड व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इसकी मॉनीटरिंग नगर निगम द्वारा की जा रही है। इस कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह सराहना और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त- नगर निगम, रतलाम

7-4-22

स्वच्छता अभियान में एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई

विशाल मेगा मार्ट पर 20 हजार का जुर्माना लगाया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नगर निगम के स्पाट फाइन दल ने एक सप्ताह में दूसरी बार बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सैलाना बस स्टैंड रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

शहर में सिंगलयुज प्लास्टिक मिलने व स्वच्छता अभियान 2022 में लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। बुधवार को निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को सूचना मिलने के बाद नगर निगम के स्पाट फाइन दल के कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीश झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी को भेजा गया। दल ने पाया कि नियम तोड़कर विशाल मेगा मार्ट में बाहर व अंदर के क्षेत्र में गंदगी है। इसके बाद दल ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

यहां भी हुई कार्रवाई

दल ने विशाल मेगा मार्ट के अलावा अजमेरी ऑटो मोबाईल पर 5000, लक्की कार डेकोर व राज कार डेकोर पर 1000-1000, अशोक कुमावत, बरखादेवी आइसक्रीम, सत्यनारायण, केके पोरवाल पर 500-500, सुनील पोरवाल, मोजराज गुरनानी पर 250-250, तेजसिंह, जैन रेस्टोरेंट पर 200-200 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया।

बीते सप्ताह यहां हुई थी कार्रवाई

बता दे कि बिते सप्ताह ही नगर निगम ने पदमश्री बियर बार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया था व इसके अलावा राममंदिर रोड से तीन ट्रॉलियां भरकर कूलर जब्त किए थे।

रतलाम में औद्योगिक पार्क के लिए 462 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली

रतलाम ● स्वदेश समाचार

रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क फेस-1 के लिए मंगलवार को मंत्रीपरिषद की हुई बैठक में 462 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। इससे इस औद्योगिक पार्क को विकसित करने के कार्य में गति आ जाएगी। यह पार्क रतलाम की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाला है।

विधायक चेतन्य काश्यप के अनुसार जामथून, बिबड़ोद, जुलवानिया, पलसोड़ी, रामपुरिया, सरवनीखूर्द ग्राम में विकसित होने वाला औद्योगिक पार्क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के समीप आकार लेगा। इससे रतलाम को राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। भाजपा नेताओं के अनुसार रतलाम के मेगा औद्योगिक पार्क की स्वीकृति क्षेत्र का चौतरफा विकास करेगी। इससे रतलाम को नगर से महानगर बनने में देर नहीं लगेगी।

श्री काश्यप ने बताया कि रतलाम औद्योगिक पार्क के विकास हेतु जिला प्रशासन द्वारा उद्योग विभाग को 1400 हेक्टेयर भूमि पहले ही हस्तांतरित कर दी गई है। इस भूमि पर म.प्र. औद्योगिक विकास निगम विकास कार्य करेगा। मेगा औद्योगिक पार्क में 25 हजार करोड़ से अधिक की राशि का पूंजी निवेश होने की संभावना है। इससे 40 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यह पार्क रतलाम को मालवा का प्रमुख औद्योगिक एवं व्यवसायिक केन्द्र बनाने में सहायक होगा।

गदंगी करने व अमानक पॉलीथिन उपयोग करने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

-महू रोड पर ट्रेक्टर गैरेज व चांदनी चौक में पान सेंटर को सील किया 7-4-22

रतलाम। नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 5 अप्रैल मंगलवार को 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया साथ ही गंदगी करने पर मैक्सी ट्रेक्टर गैरेज महू रोड व बजरंग पान भण्डार चांदनी चौक को सील किया गया।

निगम आयुक्त के निर्देशानुसार कैलाश बर्फ भण्डार व प्रजश पर 5000-5000, एस मनीश पर 1500, राठौड़ रेस्टोरेंट, नीरज कंगन स्टोर, चन्द्रप्रकाश सांकला, विकास प्रजापत, कपील सोलंकी पर 1000-1000, अनवर व गुलाब राठौर पर 250-250, सोनू व ललीत पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाइन की कार्यवाही कुलदीप भट्ट विजय मेहना, मनीश झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा का 7-7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम। आबकारी कम्पाउण्ड में कचरे के ढ़ेर का फोटो समाचार पत्र में प्रकाशित होने पर निगम की छवि धूमिल होने से संबंधित झोन प्रभारी ए.पी.सिंह व दरोगा हिमाचल चावरे का 7-7 दिवस का वेतन कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। 7-4-22

97 दिन में 126 जगह हुए आग से जुड़े हादसे

आग लगने की घटनाएं बढ़ी, 15 दिन से इंदौर में है एक दमकल

पत्रिका डेटा डिकोडेड

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. मौसम में जैसे - जैसे आसमान में तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे - वैसे जमीन पर आग की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। शहर व आसपास के अंचल में मिलाकर इस साल के शुरू के 97 दिन में 126 जगह आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इन सब के बाद भी नगर निगम के पास उपलब्ध पांच दमकल में से एक दमकल इंदौर में 15 दिन से सुधार कार्य ही करवा रही हैं। निगम के दमकल के कर्मचारी संसाधन के अभाव में काम करने को मजबूर हैं।

शहर में नगर निगम के पास स्वयं की पांच दमकल हैं। कोरोना काल के पूर्व तक इन सब की हालात बेहतर थी, लेकिन कोरोना काल में सैनिटाइजर के छिड़काव में इनका उपयोग हुआ तो इनकी टंकी खराब हो गई। कुछ दमकल की टंकियों को तो कर्मशाला के कर्मचारियों ने लीकेज में सुधार कर लिया, लेकिन एक दमकल की टंकी में सुधार नहीं हो पाया। सुधार के बाद भी लीकेज की समस्या जारी रही। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने दमकल को करीब 15 दिन पूर्व इंदौर में सुधार के लिए भेजा जो अब तक वापसी का इंतजार है।

इन संसाधन का अभाव

आग पर काबू पाने के लिए जब कर्मचारी जाते हैं तो जरूरी संसाधन का अभाव है। कर्मचारियों के लिए आवास या बड़े गोदाम में आग लगने पर होने वाले धुआं से बचाव के लिए आक्सीजन सिलेंडर नहीं हैं। ऐसे में कर्मचारी मुंह पर मजबूरी में रुमाल का उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई डूबकर मर जाता है तो उसको निकालने के लिए गोताखोरी का काम भी यही कर्मचारी करते हैं, लेकिन पानी में अंदर जाते समय आक्सीजन की कमी नहीं हो, इसका सिलेंडर भी इनके पास नहीं है।

कर्मचारियों को चाहिए रहते यह संसाधन ,

कर्मचारी के पास आग पर काबू पाने के दौरान आक्सीजन सिलेंडर के अलावा हेलमेट, दास्ताने, सीज फायर, गम बूट, पेट्रोल-डीजल की आग में काम आने वाला फॉम आदि चाहिए रहता है।

इस वर्ष अब तक सबसे अधिक आग कचरे के ढ़ेर व खेत में लगी है। कर्मचारियों के अनुसार कभी निगम के ही कर्मचारी तो कभी आमजन कचरे में आग लगा देते हैं। इससे बड़ी आग बढ़ जाती है। बुधवार को ही रोटरी क्लब के बाहर पेड़ में कचरे से व कॉमर्स कॉलेज के करीब बन रहे ब्रिज के नीचे कचरे में आग लग गई।

फैक्ट फाइल

माह	आगजनी
जनवरी	10
फरवरी	16
मार्च	82
अप्रेल	18

नगर निगम के दमकल विभाग के कर्मचारी बेहतर काम कर रहे है। अगर शहर में निगम कर्मचारी कचरे में आग लगाता है, तो 7471144900 नंबर पर मुझे सीधे फोटो लेकर मोहल्ले का नाम लिखकर वाट्सएप्प करें। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो दमकल इंदौर सुधार के लिए गई है, वो एक - दो दिन में आ जाएगी। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त

दो बार जीरो रेटिंग पा चुका निगम फिर जीएफसी और ओडीएफ डबल प्लस सर्वे की तैयारी में लगा

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सर्वे टीम से तालमेल बैठाकर सेटिंग वाला स्वच्छ सर्वेक्षण निपटाने के बाद अब शहर में गार्बेज फ्री सिटी (जीएफसी) सर्वे की तैयारी होने लगी है। इसमें नगर निगम दो बार से नाकाम हो रहा है।

2020 और 2021 के सर्वे में शहर को जीरो रेटिंग मिली थी। इस बार फिर से उसने फाइव स्टार रेटिंग का दावा किया है। इसके अलावा ओडीएफ डबल प्लस का सर्टिफिकेट भी लेना है, जो दो साल से लगातार निगम को मिल रहा है। फिलहाल सर्वे का शेड्यूल नहीं आया है इसलिए स्वच्छ सर्वेक्षण में अलर्ट मोड पर चल रहा स्वास्थ्य अमला ढीला पड़ गया है।

7-4-22

कमिश्नर के घर से 200 मीटर दूर ही कचरे का ढेर

कचरे से पटी हुई यह सड़क है मोहनबाग के पास पुखराज रेसीडेंसी के पीछे वाली, जिसकी कई दिनों से सफाई नहीं हुई।

शहर में किस तरह दो तरफा सफाई हो रही है इसका नमूना देखना हो तो अलकापुरी स्थित कमिश्नर के निजी निवास और पुखराज रेसीडेंसी के पीछे चले जाइए। कमिश्नर के घर के आसपास जहां चार-पांच निगमकर्मी हमेशा सफाई में जुटे रहते हैं, वहां से लगभग 200 मीटर दूर पुखराज रेसीडेंसी के पीछे वाली रोड पर कई दिनों से कचरे का ढेर लगा है। यह सड़क सीधे रत्नपुरी रोड और तिरूपति नगर को भी जोड़ती है। रेसीडेंसी के रहवासी कई बार इसकी शिकायत सफाई कर्मचारी और निगम को कर चुके हैं, लेकिन कोई सफाई करने नहीं आया।

जोन प्रभारी, दरोगा, ड्राइवर व हेल्परों का कटेगा वेतन

डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहन अभी भी पूरा कचरा नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ दिन पहले कमिश्नर ने प्रत्येक वाहन को पांच ट्रिप लगाने के निर्देश दिए थे, जो पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कमिश्नर ने अब सख्ती करने की ठानी है। बुधवार को उन्होंने साफ कर दिया है कि कचरा संग्रहण की संबंधित इलाके में पांच ट्रिप नहीं लगी तो जोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, ड्राइवर और हेल्पर का एक-एक दिन का वेतन काटा जाएगा। इसका जिम्मा स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल को दिया है।

462 करोड़ की स्वीकृति पर विधायक काश्यप ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को किया धन्यवाद ज्ञापित

7-4-22 स्वदेश रतलाम

रतलाम । प्रदेश मंत्री परिषद् द्वारा औद्योगिक पार्क रतलाम फेस 1 का विकास करने हेतु 462 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति पर शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित किया है। श्री काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने रतलाम प्रवास के दौरान रतलाम औद्योगिक पार्क को विकसित करने हेतु बजट में राशि का जल्द प्रावधान करने की घोषणा की थी। इसके बाद मंत्रीपरिषद् ? की बैठक में प्रदेश के जिन पांच नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कुल 714.56 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। उसमें रतलाम औद्योगिक पार्क फेस 1 के लिए सर्वाधिक 462 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।

श्री काश्यप ने बताया कि रतलाम औद्योगिक पार्क के विकास हेतु जिला प्रशासन द्वारा उद्योग विभाग को 1400 हेक्टेयर भूमि पहले ही हस्तांतरित कर दी गई है। इस भूमि पर म.प्र. औद्योगिक विकास निगम विकास कार्य करेगा। मेगा औद्योगिक पार्क में 25 हजार करोड़ से अधिक की राशि का पूंजि निवेश होने की संभावना है। इससे 40 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यह पार्क रतलाम को मालवा का प्रमुख औद्योगिक एवं व्यवसायिक केन्द्र बनाने में सहायक होगा।

पीएम आवासः 420 फ्लैट्स के लिए 484 ने कराया रजिस्ट्रेशन

दो दिन में 2.41 करोड़ रुपए जमा कराए

भास्कर संवाददाता | रतलाम

प्रधानमंत्री आवास योजना के अफोर्डेबल हाउस घटक में बन रहे ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए दूसरे ही दिन ओवर बुकिंग हो गई।

डोसीगांव और बंजली के 420 फ्लैट के लिए मंगलवार को बुकिंग चालू हुई थी। इसके मुकाबले मंगलवार तक ही 484 पात्र परिवार (नॉन स्लम क्षेत्र के) रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इससे करीब 2.41 करोड़ की राशि जमा हुई है। इसमें 23 हितग्राहियों ने 3.50 लाख का पूरा अंशदान भर दिया है। वहीं 461 ने अंशदान का 10 प्रतिशत यानी 35000 रुपए जमा करवाकर रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी तो पंजीयन की प्रक्रिया 18 अप्रैल तक चलना है। बाकी 90 प्रतिशत यानी 3.15 लाख रुपए तत्काल जमा कराने पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। इनकी तत्काल रजिस्ट्री भी करवाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। 7-4-22

औद्योगिक पार्क से बदलेगी रतलाम की दशा और दिशा

विधायक चेतन्य काश्यप के प्रयासों से 462 करोड़ रुपए की स्वीकृति

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

विधायक चेतन्य काश्यप के प्रयासों से प्रदेश मंत्रिपरिषद ने रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क फेस 1 के लिए मंगलवार को हुए बैठक में 462 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। इससे इस औद्योगिक पार्क को विकसित करने के कार्य में गति आ जाएगी। यह पार्क रतलाम की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाला है। 7-4-22

भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय एवं निर्मल कटारिया, मंडल अध्यक्ष निलेश गांधी, आदित्य डागा, मयूर पुरोहित, कृष्णकुमार सोनी, करणधीर्य बड़गोत्या ने रतलाम औद्योगिक पार्क फेस 1 के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं विधायक चेतन्य काश्यप का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रतलाम के समीप जामथून, बिबड़ोद, जुलवानिया, पलसोड़ी, रामपुरिया, सरवनीखुर्द ग्राम में विकसित होने वाला औद्योगिक पार्क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के समीप आकार लेगा। इससे रतलाम को राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। भाजपा नेताओं के अनुसार रतलाम के मेगा औद्योगिक पार्क की स्वीकृति क्षेत्र का चौतरफा विकास करेगी। इससे रतलाम को नगर से महानगर बनने में देर नहीं लगेगी। यह जानकारी जिला भाजपा मीडिया सह प्रभारी अरूण त्रिपाठी ने दी।

अनुपस्थित 18 कर्मचारियों का वेतन काटने का दिया आदेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क 7-4-22
patrika.com

रतलाम. नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में सुबह 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति की जांच की जा रही है। बुधवार सुबह 8 व दोपहर में 10 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित रहे। इसके बाद इनके एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

इनका काटा जाए वेतन

कचरा संग्रहण वाहनों से घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु प्रतिदिन 5 ट्रीप नहीं लगने पर संबंधित झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों का 1-1 दिवस का वेतन काटे जाने के निर्देश निगम आयुक्त झारिया ने दिए है।

औद्योगिक पार्क से बदलेगी रतलाम की दशा और दिशा- भाजपा

रतलाम, नप्र। विधायक चेतन्य काश्यप की कोशिशों से प्रदेश मंत्रिपरिषद् ने रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क फेस-1 के लिए 462 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इससे रतलाम में औद्योगिक पार्क को विकसित करने के काम में गति आ जाएगी। यह पार्क रतलाम की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाला है।

जिला भाजपा मीडिया सह प्रभारी अरूण त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय एवं निर्मल कटारिया, मंडल अध्यक्ष निलेश गांधी, आदित्य डागा, मयूर पुरोहित, कृष्णकुमार सोनी, करणधीर्य बड़गोत्य ने रतलाम औद्योगिक पार्क फेस 1 के लिए प्रशासकीय मंजूरी जारी होने पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं विधायक चेतन्य का आभार माना। उन्होंने कहा कि रतलाम के पास जामथून, बिबड़ौद, जुलवानिया, पलसोड़ी, रामपुरिया, सरवनीखुर्द में विकसित होने वाला औद्योगिक पार्क दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाइवे के पास आकार लेगा। इससे रतलाम को राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। रतलाम के मेगा औद्योगिक पार्क की मंजूरी से क्षेत्र का चौतरफा विकास करेगी। वहीं रतलाम को नगर से महानगर बनने में देर नहीं लगेगी।

प्रदेश मंत्री परिषद् की ओर से औद्योगिक पार्क रतलाम फेस 1 का विकास करने के लिए 462 करोड़ रुपए की मंजूरी देने पर पर शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्यमंत्री ने रतलाम प्रवास के दौरान रतलाम औद्योगिक पार्क को विकसित करने के लिए बजट में राशि का जल्द प्रावधान करने की घोषणा की थी।

विधायक काश्यप ने बताया कि रतलाम औद्योगिक पार्क के विकास के लिए जिला प्रशासन ने उद्योग विभाग को 1400 हेक्टेयर भूमि पहले ही हस्तांतरित कर दी है। जिस पर मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम विकास काम करेगा।

विशाल मेगा मार्ट व अजमेरी ऑटो मोबाइल पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत बुधवार को 13 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगमायुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार विशाल मेगा मार्ट पर 20000, अजमेरी ऑटो मोबाईल पर 5000, लकी कार डेकोर व राज कार डेकोर पर 1000-1000, अशोक कुमावत, बरखादेवी, सत्यनारायण, के.के. पोरवाल पर 500-500, सुनील पोरवाल, मोजराज गुरनानी पर 250-250, तेजसिंह, जैन रेस्टोरेंट पर 200-200 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

विशाल मेगा मार्ट पर 20 हजार का जुर्माना

निगम के स्पाट फाइन दल ने 13 व्यक्तियों पर की कार्रवाई

रतलाम। गंदगी फैलाना, अमानक पालिथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को 13 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार विशाल मेगा मार्ट से 20000 रुपये, अजमेरी आटोमोबाइल्स से 5000 रुपये, लक्की कार डेकोर व राज कार डेकोर से 1000-1000 रुपये, अशोक कुमावत, बरखादेवी, सत्यनारायण, केके पोरवाल से 500-500 रुपये, सुनील पोरवाल, मोहराज गुरनानी से 250-250 रुपये, तेजसिंह, जैन रेस्टोरेंट से 200-200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। स्पाट फाइन दल ने सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने व अमानक पालिथीन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी। कार्रवाई कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित आदि द्वारा की गई।

विशाल मेगा मार्ट पर जुर्माना वसूलते हुए नगर निगम कर्मचारी। • नईदुनिया 7-4-22

औद्योगिक पार्क से बदलेगी रतलाम की दशा और दिशा

रतलाम। विधायक चेतन्य काश्यप के प्रयासों से प्रदेश मंत्रिपरिषद् ने रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क फेस 1 के लिए मंगलवार को हुए बैठक में 462 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। इससे इस औद्योगिक पार्क को विकसित करने के कार्य में गति आ जाएगी। यह पार्क रतलाम की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाला है।

भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय एवं निर्मल कटारिया, मंडल अध्यक्ष निलेश गांधी, आदित्य डागा, मयूर पुरोहित, कृष्णकुमार सोनी, करणधीर्य बड़गोत्या ने रतलाम औद्योगिक पार्क फेस 1 के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं विधायक चेतन्य काश्यप का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रतलाम के समीप जामथून, बिबड़ोद, जुलवानिया, पलसोड़ी, रामपुरिया, सरवनीखुर्द ग्राम में विकसित होने वाला औद्योगिक पार्क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के समीप आकार लेगा।

इससे रतलाम को राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। भाजपा नेताओं के अनुसार रतलाम के मेगा औद्योगिक पार्क की स्वीकृति क्षेत्र का चौतरफा विकास करेगी। इससे रतलाम को नगर से महानगर बनने में देर नहीं लगेगी। यह जानकारी जिला भाजपा मीडिया सह प्रभारी अरूण त्रिपाठी ने दी।

नवज्योति 7-4

अध्यादेश तैयार • नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और 1961 की धारा क्रमशः 358 और 254 बदलेगी

सड़क पर मवेशी घूमते मिले तो पशु मालिक से 50 रुपए नहीं, अब वसूलेंगे 5000 रुपए जुर्माना

17-4-22

चीफ जस्टिस की टिप्पणी ने बदलवाया एक्ट, 100 फीसदी बढ़ाया जुर्माना

अनिल गुप्ता | भोपाल 9/12-12

सड़क के बीच पशु दिखने पर मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी ने नगर निगम और नगरपालिका के 60 साल से भी ज्यादा पुराने कानून में बदलाव करवा दिया। अब इस संशोधित एक्ट को राज्य सरकार आनन-फानन में अध्यादेश से लागू करने जा रही है। नए अध्यादेश में प्रावधान किया जा रहा है कि यदि सड़क पर पशु मिले तो पशु मालिक को 100 गुना यानी पांच हजार रुपए तक जुर्माना भरना होगा। पहले यह सिर्फ 50 रुपए तक था।

विधि विभाग ने नगरीय विकास विभाग के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिन दो अधिनियम में बदलाव हो रहा है, उसमें नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 और नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 254 शामिल हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है चूंकि एक्ट संशोधित हो रहा है। इसे बजट सत्र में लाने की तैयारी थी, लेकिन वह समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इसीलिए अध्यादेश से संशोधित कानून लागू करेंगे। यहां बता दें कि अक्टूबर 2021 में चीफ जस्टिस भोपाल से जबलपुर जा रहे थे, तभी उन्हें सड़क पर पशु मिले। जबलपुर पहुंचकर उन्होंने टिप्पणी की कि 'सड़कों पर पशु रहना गंभीर समस्या है। कितने दिनों से यह दिक्कत है, यह ठीक नहीं। जल्द ही समस्या का स्थाई समाधान होना चाहिए।' इसी टिप्पणी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई। उच्चस्तर पर बैठक के बाद एक्ट को संशोधित करने पर सहमति बनी।

लंबे समय से विचाराधीन थी तीन याचिका : इससे पहले स्ट्रीट डॉग्स और आवारा मवेशियों को लेकर तीन याचिकाएं हाईकोर्ट में विचाराधीन थीं। सतीश कुमार वर्मा ने स्ट्रीट डॉग को लेकर 2006-07 में याचिका लगाई थी। बृजेंद्र लक्ष्मी यादव ने (25056/19) 2014-15 के समय और फिर पूनम शर्मा ने पिटीशन (25829/18) ने अपनी पिटीशन में आवारा मवेशी की बात रखी। अंततः सुनवाई हुई और राज्य सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा।

सुशासन स्कूल बनाएगा ठोस प्लान : नगरीय विकास विभाग ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं विश्लेषण संस्थान को भी लिखा है कि वह आवारा मवेशी व सड़कों पर बैठने वाले पशुधन की समस्या को दूर करने का ठोस प्लान बनाकर दे।

मप्र में 8.53 लाख गोवंश व 10 लाख आवारा श्वान

सरकारी आंकड़ों के अनुसार मप्र में आवारा गोवंश की संख्या 8 लाख 53 हजार 971 है, जबकि आवारा श्वानों (कुत्तों) की संख्या 10 लाख 9 हजार 76 है। पालतू पशुओं की संख्या 4.06 करोड़ है। पालतू श्वानों की संख्या भी 3 लाख 3 हजार 567 है।

प्रदेश में पांच औद्योगिक पार्क होंगे विकसित

कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

भोपाल, (प्रसं)। प्रदेश में पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। इसमें भोपाल जिले का बैरसिया भी शामिल हैं। यहां औद्योगिक क्षेत्र परियोजना को 25.88 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में चार और क्षेत्र विकसित होंगे। इन क्षेत्रों के विकसित होने से यहां 32 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश होगा, वहीं 38 हजार 450 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इन सभी पांचों नए औद्योगिक क्षेत्रों पर सरकार 714 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च करेगी। बैरसिया के अलावा आष्टा झिलेला जिला सीहोर में 99.43 करोड़, धार तिलगारा जिला धार 79.43 करोड़, मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम फेस-1 जिला रतलाम 462 करोड़ और नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर 47.82 करोड़ की परियोजना शामिल है।

अब उज्जैन में बनेगा मेडिकल डिवाइसेस पार्क

प्रदेश में अब मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना मोहासा बाबई में नहीं होगी। कैबिनेट ने अब इसका स्थान बदल दिया है। अब इसे औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना होगी।

प्रदेश में अब किसानों की तर्ज पर पशुपालकों को भी सहकारी बैंकों से अधिकतम दो लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा। इससे अब पशुपालकों को पशु पालने के लिए राशि का इंतजाम करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। उन्हें अब शून्य फीसदी ब्याज दर पर यह राशि मिलेगी। प्रदेश में अब तक लगभग 92 हजार पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। क्रेडिट कार्ड वाले सभी पशुपालक अब शून्य फीसदी ब्याज दर पर कर्ज ले सकेंगे।

7-6-22

कन्या को उपहार में मिलेगी 38 हजार की सामग्री और 11 हजार का चेक

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह - निकाह योजना के संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब योजना में सामूहिक विवाह - निकाह कार्यक्रम में शामिल पात्र प्रति कन्या के मान से 55 हजार रुपए मंजूर किए जाएंगे। इस राशि में से 6,000 रुपए की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने वाले निकाय को दी जाएगी, वहीं 38 हजार रुपए की सामग्री एवं 11 हजार रुपए का एकाउंट पेयी चेक कन्या को उपहार के रूप में मिलेंगे। श्रम विभाग के मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिक हेतु विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था सामूहिक विवाह का आयोजन शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत ही आयोजनकर्ता होंगे। अन्य किसी संस्था द्वारा कराए जा रहे सामूहिक विवाह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे। अब सामूहिक विवाह के लिए वर्षवार कैलेंडर जारी होगा।

प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा रामनवमी का पर्व

भोपाल, (प्रसं)। कैबिनेट की औपचारिक बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। चित्रकूट और ओरछा में विशेष आयोजन होंगे। यहां रामजन्मोत्सव पर दीपोत्सव का आयोजन होगा। हर राम मंदिर में दीप प्रज्वलित किया जाएगा। रामनवमी पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ ही पूरे उत्साह से मनाई जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को इस तरह के आयोजन में भागीदारी की सलाह भी दी। उन्होंने दिल्ली में मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट-2022 पेश किए जाने के मामले की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट पेश करना प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। सुशासन और विकास पर ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला मप्र देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर केंद्रीय मंत्रियों तथा देश के आर्थिक जगत के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मप्र की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने गौरव दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर गौरव दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने माखननगर में गौरव दिवस पर शामिल होने की जानकारी दी।

सीएम विद्युत बिल राहत योजना का शुभारंभ आज

रतलाम | मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना का शुभारंभ गुरुवार को होगा। मुख्य कार्यक्रम कटनी में होगा। शहर में विधायक सभागृह में कार्यक्रम होगा। यहां सीएम के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। यहां राहत योजना के प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे।

18 सफाई कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम | सफाई व्यवस्था के 18 कर्मचारी बुधवार को ड्यूटी पर नहीं आए। इसके लिए उन्होंने न तो अवकाश लिया था, न किसी को सूचना दी थी। पर्यवेक्षकों की चेकिंग में नाम सामने आने के बाद आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सभी पर एक-एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की है। इनमें सुबह की शिफ्ट के 8 और दोपहर की शिफ्ट के 10 कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे सफाई कर्मचारी जो लगातार तीन दिन गैरहाजिर रहेंगे, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पत्रिका

विशाल मेगा मार्ट पर 20 हजार रुपए का जुर्माना

रतलाम | खुले में कचरा डालने पर स्पॉट फाइन टीम ने बुधवार को विशाल मेगा मार्ट पर 20 हजार रुपए का जुर्माना वसूला। इसी प्रकार सालाखेड़ी फोरलेन स्थित अजमेरी ऑटोमोबाइल पर 5 हजार रुपए, लक्की कार डेकोर व राज कार डेकोर पर 1000 रुपए, अशोक कुमावत, बरखादेवी, सत्यनारायण, केके पोरवाल पर 500 रुपए, सुनील पोरवाल, मोजराज गुरनानी पर 250 रुपए, तेजसिंह, जैन रेस्टोरेंट पर 200 रुपए का फाइन लगाया। कार्रवाई कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी ने की। 7-4-22

मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नगर पालिक निगम रतलाम की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2022 के प्रकाशन कार्य का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजेश कुमार शुक्ला द्वारा निरीक्षण किया गया। सूची के प्रकाशन का कार्य 4 से 11 अप्रैल तक निर्धारित प्राधिकृत स्थल पर किया जाकर दावे-आपत्ति प्राप्त कर मतदाता सूची में नाम जोडने, विलोपन करने एवं मतदाता की मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि में यदि कोई संशोधन है तो मतदाता निर्धारित प्रारुप में आवेदन कर कार्यवाही कर सकते हैं।

मतदाता सूची में नाम जोडने के लिए मतदाता को फार्म ईआर-1 में आवेदन, आयु, पहचान और पते की पुष्टि आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आयु के प्रमाण के लिए संभावित दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट आदि, पते के प्रमाण के लिए संभावित दस्तावेज राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पास बुक, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि आवश्यक हैं। मतदाता सूची में नाम पर आपत्ति हेतु फार्म ईआर-2 में आवेदन करना होगा। मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार के लिए संशोधन आवेदन फार्म ईआर-3 में करना होगा। समस्त प्रकार के आवेदन वार्ड में निर्धारित प्राधिकृत स्थल पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी के पास उपलब्ध हैं। वहां मतदाता आवेदन कर सकते हैं।

नगर निगम को अलग ही छाप दे गया स्वच्छता सर्वेक्षण 2022

रतलाम। खबर है कि रतलाम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। सर्वेक्षण दल रतलाम आकर चला गया है। इस दल की रिपोर्ट क्या होगी? इसका खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन शहरवासियों के लिए ये सर्वेक्षण नगर निगम को अलग ही छाप दिला गया। इसके नाम पर इस बार दादागिरी, मनमानी और लापरवाही सब दिखी। निगम के चुनाव नहीं होने का खामियाजा लोगों ने भुगता, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की कमी ने अफसरों को बेलगाम कर दिया है।

ताजा मामला वर्ष प्रतिपदा पर हुई गोठ के आयोजन का है। इसमें अंबेडकर मांगलिक भवन परिसर में हुई पंचान ओसवाल बड़े साथ समाज की गोठ में नगर निगम ने डिस्पोजल का उपयोग बताकर 5000 रुपए का जुर्माना ठोंक दिया, जबकि गोठ में अधिकांश स्टील के बर्तन उपयोग हुए। डिस्पोजल का बिलकुल ही उपयोग नहीं हुआ। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर राज्य शासन के निर्देश पर नगर निगम ने 25 दिनों पहले ही डिस्पोजल की दुकानें बंद करा दी थीं। ऐसी स्थिति में डिस्पोजल का उपयोग होने की बात समझ से परे है। वैसे ही सर्वेक्षण के नाम पर कुछ क्षेत्रों में शहरवासियों ने ये भी देखा कि निगम द्वारा पहले गंदगी फैलाई गई और फिर उसे साफ कराकर फोटो खींचकर सक्रियता का स्वांग रचा गया। इसके अलावा निगम के कई अन्य कार्य ऐसे हुए, जो सर्वेक्षण के नाम पर नागरिकों के अलावा निगमकर्मियों पर भी भारी रहे। 34 125 134

निगम प्रशासन द्वारा आए दिन निगम कर्मियों की अनुपस्थिति पर वेतन काटने, निलंबित करने और बर्खास्त करने तक की कार्यवाहियां हो रही हैं, जबकि सबको पता है निगम के पास आवश्यकता के मान से काफी कम अमला है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी कम होंगे, तो परिणाम भी कम ही मिलेगा। बहरहाल कर्मचारियों को दंडित करने के साथ-साथ निगम ने आए दिन शहरवासियों पर भी जुर्माने लगाए, लेकिन सर्वेक्षण दल के वापिस लौटते ही उसकी सक्रियता कम हो गई। इससे कई क्षेत्रों में गंदगी के ढेर दिखने आरंभ हो गए। सर्वेक्षण का सबसे दुखद पहलू ये भी है कि कुछ क्षेत्रों में सर्वेक्षण के पहले भी सफाई नहीं हो रही थी और सर्वेक्षण के बाद भी उन क्षेत्रों में सफाई नहीं हो रही है। सर्वेक्षण का कार्य भी निगम अमले के लिए गुप्त नहीं रहा। इसलिए उसने अपने हिसाब से स्वच्छता दर्शा दी। इससे सर्वेक्षण में यदि नंबर अधिक भी मिल जाएं, तो उसका महत्व आसानी से समझा जा सकता है।

प्रदेश में पांच औद्योगिक पार्क होंगे विकसित

कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

भोपाल, (प्रसं)। प्रदेश में पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। इसमें भोपाल जिले का बैरसिया भी शामिल है। यहां औद्योगिक क्षेत्र परियोजना को 25.88 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में चार और क्षेत्र विकसित होंगे। इन क्षेत्रों के विकसित होने से यहां 32 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश होगा, वहीं 38 हजार 450 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इन सभी पांचों नए औद्योगिक क्षेत्रों पर सरकार 714 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च करेगी। बैरसिया के अलावा आष्टा झिलेला जिला सीहोर में 99.43 करोड़, धार तिलगारा जिला धार 79.43 करोड़, मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम फेस-1 जिला रतलाम 462 करोड़ और नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर 47.82 करोड़ की परियोजना शामिल है।

अब उज्जैन में बनेगा मेडिकल डिवाइसेस पार्क

प्रदेश में अब मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना मोहासा बाबई में नहीं होगी। कैबिनेट ने अब इसका स्थान बदल दिया है। अब इसे औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना होगी।

प्रदेश में अब किसानों की तर्ज पर पशुपालकों को भी सहकारी बैंकों से अधिकतम दो लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा। इससे अब पशुपालकों को पशु पालने के लिए राशि का इंतजाम करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। उन्हें अब शून्य फीसदी ब्याज दर पर यह राशि मिलेगी। प्रदेश में अब तक लगभग 92 हजार पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। क्रेडिट कार्ड वाले सभी पशुपालक अब शून्य फीसदी ब्याज दर पर कर्ज ले सकेंगे।

7-4-22

कन्या को उपहार में मिलेगी 38 हजार की सामग्री और 11 हजार का चेक

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह - निकाह योजना के संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब योजना में सामूहिक विवाह - निकाह कार्यक्रम में शामिल पात्र प्रति कन्या के मान से 55 हजार रुपए मंजूर किए जाएंगे। इस राशि में से 6,000 रुपए की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने वाले निकाय को दी जाएगी, वहीं 38 हजार रुपए की सामग्री एवं 11 हजार रुपए का एकाउंट पेयी चेक कन्या को उपहार के रूप में मिलेंगे। श्रम विभाग के म.प्र. भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिक हेतु विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था सामूहिक विवाह का आयोजन शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत ही आयोजनकर्ता होंगे। अन्य किसी संस्था द्वारा कराए जा रहे सामूहिक विवाह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे। अब सामूहिक विवाह के लिए वर्षवार कैलेंडर जारी होगा।

प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा रामनवमी का पर्व

भोपाल, (प्रसं)। कैबिनेट की औपचारिक बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। चित्रकूट और ओरछा में विशेष आयोजन होंगे। यहां रामजन्मोत्सव पर दीपोत्सव का आयोजन होगा। हर राम मंदिर में दीप प्रज्वलित किया जाएगा। रामनवमी पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ ही पूरे उत्साह से मनाई जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को इस तरह के आयोजन में भागीदारी की सलाह भी दी। उन्होंने दिल्ली में मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट-2022 पेश किए जाने के मामले की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट पेश करना प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। सुशासन और विकास पर ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला म.प्र. देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर केंद्रीय मंत्रियों तथा देश के आर्थिक जगत के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने म.प्र. की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने गौरव दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर गौरव दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने माखननगर में गौरव दिवस पर शामिल होने की जानकारी दी।

अब ट्रेड लाइसेंस की जांच में लगाईं चार टीम, 330 दुकानदारों को नोटिस, विरोध शुरू

80 फार्म आए लेकिन नगर निगम ने एक भी लाइसेंस नहीं बनाया

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कमाई बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अब दुकानदारों के ट्रेड लाइसेंस की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए खासतौर पर चार टीम बनाकर लगाई गई हैं, जो बकायादारों के साथ ही बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों की सूची बना रही हैं। चेकिंग के बाद एक पखवाड़े में अब तक 330 से ज्यादा व्यावसायियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

हर बार की तरह निगम की इस मुहिम की भी पोल यह है कि नोटिस तो धड़ल्ले से भेजे जा रहे हैं, लेकिन जिन 80 दुकानदार ने आवेदन दिए हैं, उनमें से एक का भी लाइसेंस नहीं बन पाया है। इसकी वजह लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का तय नहीं होना है। इसके चलते व्यापारिक संगठन विरोध में आ खड़े हुए हैं। दो-तीन दिनों से लगातार चेकिंग करने वाली टीम को दुकानदारों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही निपटारा नहीं होने पर मामला तूल पकड़ सकता है।

किस जोन में कौन कर रहा जांच

- जोन एक - बिनु पिल्लई, मनीष परमार
- जोन दो - नरेंद्र शर्मा, प्रमोद चुटेले
- जोन तीन - कुलदीप राठौड़, राजू मुरली
- जोन चार - विजय मेहता, सतीश देवकरण

जिन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं, उन्हें भी कर रहे परेशान

संयुक्त व्यापारी संघ के मनोज झालानी ने बताया खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ऐसे व्यापारी जो खाद्य सामग्री बेच रहे हैं, उन्हें दुकान, संस्थान का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी नगर निगम द्वारा व्यापारियों से लाइसेंस मांगा जा रहा है। इसके लिए नगर निगम के अफसर मनमानी कर रहे हैं और बेवजह व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। पहले ही लॉकडाउन से व्यापारी परेशान हैं। इसके बाद भी नगर निगम द्वारा मनमानी की जा रही है। अब तो व्यापारी अफसरों से घबराने लगे हैं। अफसर व्यापारियों को बेवजह परेशान करना बंद करें।

पुलिस को देना होगी किरायेदार और कर्मचारियों की जानकारी

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। किरायेदारों व दुकानों के कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्देश भी जारी किए जाते हैं, लेकिन कई लोग जानकारी नहीं देते हैं। अब जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की बैठक में किरायेदारों व की जानकारी के संबंध में अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। जिले में पुलिस विभाग ने एक प्रोफार्मा तैयार किया है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी तो मकान दिया है तो किराये से मकान लेने वाले व्यक्ति व उसके स्वजन के बारे में जानकारी, आधार कार्ड की फोटोकापी के साथ प्रोफार्मा में फोटो चस्पा कर संबंधित थाने पर देना होगा। इसी प्रकार दुकानों व संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी के बारे में भी जानकारी देना होगी।

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण प्रकाशन कार्य का निरीक्षण

नगर पालिक निगम रतलाम की मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2022 के प्रकाशन कार्य का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजेश कुमार शुक्ला द्वारा निरीक्षण किया गया। मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्य 4 अप्रैल से 11 तक निर्धारित प्राधिकृत स्थल पर कर दावे-आपत्ति प्राप्त कर मतदाता सूची में नाम जोडने, विलोपन करने एवं मतदाता की मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि में यदि कोई संशोधन है तो मतदाता निर्धारित प्रारुप में आवेदन कर कार्यवाही कर सकते हैं।